HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए लूट के मामले में एक अभियुक्त को 06 वर्ष 06 माह का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 04.03.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा लूट करने वाले 01 अभियुक्त को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 24.06.2009 को अभियुक्त इरफान उर्फ फानू पुत्र गुल मौहम्मद निवासी ग्राम धौलडी थाना जानी जनपद मेरठ द्वारा मुकदमा वादी ओमप्रकाश के समधी के साथ मारपीट कर लूट करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर मु0अ0सं0 382/2009 धारा 394, 411 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 01.08.2009 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 0403.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय सीजेएम हापुड़ द्वारा 06 वर्ष 06 माह का कारावास (जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित) व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री घनश्याम जी (एस.पी.ओ) व विवेचक उप निरीक्षक श्री वीरलाल यादव एवं पैरोकार म0का0 प्रभावती व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 कृष्णकान्त का विशेष योगदान रहा।